न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 427/2022

विक्रम सिंह पुत्र काशीराम जाति खाती साकिन कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. श्योपत सिह पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. उपपंजीयक/सब रजिस्ट्रार भादरा तहसील भादरा।

–– रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2022 द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा,

प्र. सं. 9/2022 अनवान श्योपत बनाम विक्रम आदि

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 25/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 633/565 के खसरा नं. 640 की 4.023 है0 व खसरा नं. 645 की 6.249 है0 कुल 10.272 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी श्योपत सिंह का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी 1 विक्रम सिह का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 प्रत्येक 1/12–1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी के अलावा बेगराज का 1/12 हिस्सा भागीरथ का 1/6 हिस्सा, रामचन्द्र का 1/12 हिस्सा शान्ति देवी का 1/12 हिस्सा, सुभाष का 1/3

25/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा व सुलतान का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 विक्रमसिंह अन्य लोगों के बहकावे में आकर वाद भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अच्छे किस्म की कृषि भूमि को विक्रय करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जावे। विचारण न्यायलाय ने दिनांक 31.01.2022 को रोही मौजा कलाना के खसरा नं. 640, 645 कुल 10.272 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि का अप्रार्थी को रहन बैय व मुन्तकिल ना करने एवं रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रसारित किया गया था जिसमें आंशिक संशोधित करते हुए अपीलाधीन निर्णय प्रसारित कर गैरसायल को वाद भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा ताफैसला उत्पन्न ना करने एवं गैरसायल के विरूद्ध दिनांक 31.01.2022 को जारी स्थगन को बैंक रहन को छोड़कर रिकार्ड मौका की यथास्थिति बनाये रखने जाने हे प्रभावित रक्खा है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील में रेस्पोडेण्ट सं0 1 के रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये, मगर उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 2 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायलाय का प्रश्नगत आदेश एक खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि के स्वतन्त्र उपयोग उपभोग में बाधा कारित करता है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के हक में होना सिद्ध माना है इस कारण इस बिन्दु का निर्णय खिलाफ प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 एवं बहक अप्रार्थी/अपीलाण्ट निर्णित किया है। फिर भी एक खातेदार कातश्कार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का आदेश प्रसारित किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने सुविधा के सन्तुलन के बिन्दू पर विवेचन करते हुए यह स्पष्ट अवधारणा पारित की है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ–पत्र दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

साबित माने हैं इस प्रकार जब दोनों बिन्दू का निर्णय अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाण्ट के हक में एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विरूद्ध निर्णित किये हैं तो कानूनन रेस्पोडेण्ट सं0 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा काबिल खारिजी था। जहां तक अपूर्णीय क्षति का बिन्दू है विचारण न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि खातेदार कातश्कार के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है किन्तु वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि होने के कारण अगर अच्छी किस्म की भूमि का बेचान होता है तो अन्य खातेदारों को नुकसान होना माना है। परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं था कि कौन भूमि अच्छी किस्म की भूमि है कौन सी भूमि अच्छी किस्म की नहीं है। मौजूदा प्रकरण में हिस्सा होने अथवा ना होने बाबत कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के नाम 1/12–1/12 हिस्सा दर्ज है अगर भूमि का बेचान भी होता है तो मात्र हिस्सा का ही हो सकता है विशिष्ट रूप से जब किसी व्यक्ति के नाम कोई भूमि दर्ज ही नहीं है तो उसका विक्रय पत्र भी निष्पादित नहीं हो सकता है एवं एक खातेदार कातश्कार अभिलेख में दर्ज अपना हक हिस्सा विक्रय कर सकता है कानून उसे पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट को किसी प्रकार से कोई अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अपीलाण्ट जो कि एक खातेदार काश्तकार है अपनी भूमि का स्वतन्त्र उपयोग उपभोग करने से वंचित रहने के कारण उसे अपूर्णीय क्षति होगी जबकि अन्य दोनो इन्ग्रीडियन्त प्रथम दृष्टया प्रकरण, एवं सुविधा का सन्तुलन विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट के पक्ष में तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट सं0 1 का साबित नहीं माना इस प्रकार तीनों बिन्दू रेस्पोडेण्ट सं0 1 के खिलाफ निर्णित कर चुके हैं इसलिए उक्तआधार पर अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 आरआरडी पेज 762, 2019 आरआरटी (2) पेज 777 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

25/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रकरण में रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु वाद पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर विचार किया जाना उचित है।

7. प्रथम दृष्टया मामलाः— बहस में आये तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 सह खातेदार है। अपीलाण्ट के साथ साथ रेस्पोडेण्ट का भी उतना ही हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट विक्रमसिंह अपने हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है एवं प्रत्येक सह खातेदार भूमि का स्वतंत्र उपयोग उपभोग कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दोनों के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8. सुविधा का सन्तुलनः— सुविधा का सन्तुलन में यह बिन्दू देखा जाना है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि एवं अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का सह खातेदार काश्तकार है एवं यदि अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसे अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने में असुविधा होगी रेस्पोडेण्ट को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9. अपूर्णीयक्षतिः— अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम विशिष्ट रूप से भूमि का अंकन नहीं है बल्कि अपीालण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम 1/12–1/12 हिस्सा दर्ज है अगर भूमि का बेचान भी होता है तो मात्र हिस्सा का ही हो सकता है। राजस्व रिकार्ड में विशिष्ट किला के अनुसार यदि भूमि दर्ज नहीं है तो विशिष्ट किला का बेचान भी नहीं हो सकता है। एक खातेदार काश्तकार अभिलेख में दर्ज अपना हक हिस्सा विक्रय कर सकता है कानूनन उसे पाबंद नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट सं0 1 को किसी प्रकार से कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में नहीं है।

10. इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होने एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में नहीं होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अशोक कुमार
25/01
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.10.2022 निरस्त किया जाता है एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner